

रीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

17/01/25

पम्पवली पेश हुई। वादी वकील एवं वादी अनु.।
वादी वकील एवं वादी को न्यायालय समय में रुठ-रुठ
कर लीन बार आवाज लगाई गई न तो वादी वकील
उप. हुआ एवं न हि वादी उप. हुआ अतः पम्पवली
अदम पंढरी / अदम हाजरी में खारिज की जाती है
पम्पवली फौजल कुमार बोटल वास्विल इफ्तर हो। खेरका न ठम हो।

★

